03/03/2009- एलएनजेएन एनआईसीएफए

भारत सरकार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान

(गृह मंत्रालय)

बाहरी रिंग रोड़, सैक्टर - 3,
रोहिणी, दिल्ली- 110085.

दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

विषय; **प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली में रु0 6500-10500 (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में निजी सचिव का पद भरने के संबंध में**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, अनुलग्नक -। में उल्लिखित विवरणानुसार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली-85 में निजी सचिव का एक पद भरने के लिए उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है । चयनित अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, जिसे प्रशासनिक सुविधानुसार, जन हित में बढ़ाया या घटाया जा सकता है । चयनित व्यक्ति का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनाँक 05 जनवरी 1994 के का0 ज्ञा0 संख्या 2/29/91-स्थापना (वेतन ।।) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2. उपर्युक्त पद हेतु स्वैच्छिक व्यक्ति को चयन होने के बाद नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । वांछित बायो-डाटा और गोपनीय रिपोर्ट डोज़िअर के बिना संस्तुत उम्मीदवारों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. पात्रता रखने वाले इच्छुक और उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन पत्र, जिन्हें चयन किए जाने पर तुरंत कार्य मुक्त किया जा सके, **"रोज़गार समाचार"** में इस परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों के भीतर, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), रोहिणी, सेक्टर - 3, आउटर रिंग रोड, दिल्ली -85** को, अनुलग्नक ।। में, दो प्रतियों में, पाँच वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियों के साथ अग्रेषित कर दिए जाएं ।

कृपया हमारी वेबसाइट www.nicfs.nic.in भी देख सकते हैं ।

(ऐ.के. डे.)
सहा0 निदेशक (फोटोग्राफी)
कृते निदेशक, लो.ना.ज.ना रा.अ.वि.वि.सं.

संख्या : 03/03/2009-लो.ना.ज.ना रा.अ.वि.वि.सं. दिनाँक ;

प्रतिलिपि निम्न को प्रषित है:-

1. भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन
4. सभी विश्व विद्यालयों के रजिस्ट्रार
5. सभी केन्द्रीय एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशक
6. सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान
7. सभी सार्वजनिक उपक्रम 8. सभी अर्धसरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन
9. सुश्री सुभाश्री महापात्र, अभियान अधिकारी, डीएवीपी, 10वॉ तल, कमरा स0 1038, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, दिल्ली - 03 - (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित) - **रोज़गार समाचार** में यथाशीघ्र प्रकाशनार्थ । अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम संख्या में उम्मीदवार आकर्षित करने के लिए "रोज़गार समाचार" में स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए । कृपया रोजगार समाचार के जिस अंक में उक्त परिपत्र को प्रकाशित किया जाए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को रिकार्ड हेतु प्रेषित कर दें ।

अनुलग्नक : यथोपरि

(ए.के. डे.)
सहा0 निदेशक (फोटोग्राफी)
कृते निदेशक, लो.ना.ज.ना.वि.वि.सं.

अनुलग्नक - I

1.	पद का नाम	:	निजी सचिव
2.	पदों की संख्या	:	एक
3.	वेतनमान	:	रु0 6500-200-10500 (पूर्वसंशोधित)
4.	पात्रता	:	**संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) धन प्रोन्नति द्वारा**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक प्रतिष्ठान के तहत ऐसे अधिकारी --

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिकों की श्रेणी में सदृश पद धारण किए हुए हैं;

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू0 5500-9000 (पूर्व संशोधित) या समतुल्य वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू0 5500-9000 और 5000-8000 या समतुल्य वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में छह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो;

(ख) निम्नलिखित अर्हता रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास या समतुल्य अर्हता हो ।

(ii) अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।

2. विभागीय आशुलिपिक श्रेणी "ख" (वैयक्तिक सहायक) जिन्होंने उस श्रेणी में 5500-9000 रु0 के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या आशुलिपिक श्रेणी "ख" की श्रेणी में नियमित आधार पर एवं आशुलिपिक श्रेणी "ग " (5000-8000 रु0) की श्रेणी में नियमित आधार पर संयुक्त रूप से छह वर्ष सेवा की है, के नामों पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जाएगा, और पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन की स्थिति में, पद को प्रोन्नति के आधार पर भरा गया समझा जाएगा ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. प्रतिनियुक्ति की अवधि : सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं ।

अनुलग्नक ।।

बायो-डेटा प्रारूप

1. किस पद के लिए आवेदन किया है
2. नाम तथा पता
3. जन्म तिथि (ईसवीं में)
4. केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त की तारीख
5. शैक्षिक अर्हता
6. अनुभव
7. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आपके द्वारा ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए, आप पद की आवश्यकता को पूरा करते हैं ?
8. पिछली नियुक्तियों का कालक्रम से ब्योराः(स्थान कम होने पर अलग से हस्ताक्षरित शीट संलग्न करें)

कार्यालय/संस्थान/ संगठन	पद का नाम	से	तक	वेतनमान तथा पिछला मूल वेतन	ड्यूटी की प्रकृति

9. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात, तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी है

10. अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हों । जगह की कमी की स्थिति में अलग से कागज नत्थी करें ।

11. क्या आप अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?

12. अभियुक्ति

तारीखः

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, दूरभाष
नंबर तथा निवास स्थान का पता

आवेदक के कार्यालय प्रधान/नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिए गए ब्योरे सही हैं ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध अनुशासन/सतर्कता संबंधी कोई मामला लंबित नहीं हैं न ही विचारणीय है । और वह सतर्कता के दृष्टिकोण से बेबाक हैं ।
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है ।
4. प्रमाणित किया जाता है पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ा या छोटा दंड अधिकारी पर अधिरोपित नहीं किया गया है ।

(कार्यालय प्रधान/नियोक्ता)